भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, ओडिशा
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, ODISHA
आयकर भवन, राजस्व विहार
AAYAKAR BHAWAN, RAJASWA VIHAR,
भुवनेश्वर-751007 BHUBANESWAR – 751007
Phone No. 0674-2586966 Fax: 0674-2589263; 2589267
Email Id: bhubaneswar.dcit.hq.admin@incometax.gov.in

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: स्थापना- आयकर विभाग, ओडिशा क्षेत्र- आशुलिपिक श्रेणी-I के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्तियों को भरने के संबंध में।

Subject: Establishment- Income Tax Department, Odisha region- Filling up of vacancies in the grade of Stenographer Grade-I on deputation basis- reg.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, ओडिशा, आयकर विभाग, ओडिशा क्षेत्र में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए उपयुक्त और पात्र उम्मीदवारों का एक पैनल बनाने का प्रस्ताव करता है, जो नीचे दिए गए पद के सामने दिखाए गए वेतनमान और प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्य स्वीकार्य भत्ते के साथ होगा:

The Principal Chief Commissioner of Income Tax, Odisha, proposes to draw a panel of suitable and eligible candidates for filling up the following posts in Income Tax Department, Odisha region in the pay scale shown against the post below plus usual admissible allowances on deputation basis:

क्रमांक /S.No.	पद का नाम /Name of the post	वेतन मैट्रिक्स /Pay Matrix	पदों की संख्या /Number of posts
1.	आशुलिपिक श्रेणी-I सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) Stenographer Grade-I General Central Service, Group-B (Non-Gazetted)	7वें सीपीसी के अनुसार संशोधित वेतन मैट्रिक्स रु.35400-112400 के अनुसार लेवल-6 Level-6 as per 7th CPC in the revised pay matrix of Rs.35400-112400	57*

* ओडिशा क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर रिक्तियां मौजूद हैं।
Vacancies exist at different stations of Odisha region.

Note: रिक्तियां बिना किसी सूचना या कारण बताए परिवर्तित की जा सकती हैं।
The vacancies are liable to change without notice and without assigning any reason.

2. इस संदर्भ में, आशुलिपिक श्रेणी-I के पद के लिए उम्मीदवारों से उचित माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो निम्नलिखित मानदंड रखते हैं:

In this context, the applications in the prescribed proforma through proper channel are invited from the candidates for the post of stenographer Grade I, who possess the following criteria:

2.1 केंद्र सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले अधिकारी।

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) या समकक्ष में वेतन स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ।

Officers holding the post of Stenographer under the Central Government:

(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) With ten years' regular service in Pay Level-4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent.

2.2 फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे।

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

2.3 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से तुरंत पहले आयोजित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed three years.

2.4 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

3. (क) आयकर विभाग में आशुलिपिक श्रेणी-I के रूप में कार्यरत अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं।

(ख) आयकर विभाग में स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के रूप में कार्यरत अधिकारी फीडर कैडर में होने के कारण पात्र नहीं हैं।

(a) Officials working as Stenographer Gr.-I in the Income Tax Department are not eligible to be appointed on 'Deputation'.

(b) Officials working as Stenographer Gr.-II in the Income Tax Department are not eligible on account of being in the feeder cadre.

4. प्रतिनियुक्ति पर, अधिकारी प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/91-स्था.(वेतन-II) में निर्धारित है और दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-6/8/2009-स्था.(वेतन-II) द्वारा संशोधित किया गया है।

While on deputation, the official shall be governed by the normal terms of deputation, as laid down in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension OM No. 2/29/91-Estt.(Pay-II), dated 5th January, 1994 and as amended vide OM No. AB-6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17th June, 2010.

5. चयनित उम्मीदवारों का स्थानांतरण/पदस्थापना प्रचलित नियमों द्वारा शासित होगा।

Selected Candidates' transfer/posting will be governed by the prevailing rules.

6. चयनित किसी भी उम्मीदवार को सामान्यतः अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Any candidate selected will ordinarily not be allowed to withdraw his/her name.

7. इच्छुक कर्मचारी जो निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं और पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं और जिनकी सेवाएं मुक्त की जा सकती हैं, उनके आवेदन उचित माध्यम से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, ओडिशा क्षेत्र, आयकर भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर-751007 के कार्यालय को भेजे जा सकते हैं। आवेदन पत्र अनुलग्नक-ए में दिए गए प्रारूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। (कृपया विभागीय वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से अनुलग्नक-ए प्रारूप डाउनलोड करें)।

Applications of the willing employees who fulfill the prescribed requisite qualifications and conditions of eligibility and whose services can be spared may be forwarded through proper channel to the office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, Odisha region, Aayakar Bhawan, Rajaswa Vihar, Bhubaneswar-751007. Application is to be submitted in duplicate, in the format given in Annexure-A.

(Please download the proforma Annexure –A from the departmental website: www.incometaxindia.gov.in).

8. आवेदन पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न की जानी चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित या विचाराधीन नहीं है और पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई छोटा/बड़ा दंड नहीं लगाया गया है।
Attested photocopies of the ACRs/APARs for the last 5 years should be enclosed along with the application. It may also be noted that no vigilance/disciplinary proceedings should be pending or contemplated against the official concerned and no minor/major penalty have been imposed during the last 5 years.

9. आवेदन पत्र रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। संबंधित कार्यालय/विभागाध्यक्ष द्वारा बायोडाटा अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थियों के विवरण सत्यापित और प्रमाणित हैं तथा वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
Application should reach this office within 60 days of the publication of the advertisement in the employment News. While forwarding the bio-data by the respective Head of Office/ Department, it may be ensured that the particulars of the candidates are verified and certified and they fulfill the eligibility criteria.

10. अपूर्ण या बिना उचित माध्यम के या अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के बिना या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
Any application received incomplete or not through proper channel or without the requisite certificates/ documents or received after the stipulated date will not be considered.

11. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of the competent authority.

संलग्नक/Encl: प्रोफार्मा आवेदन Proforma Application **(Annexure-A)**

(श्रीविशाख आर. के. / Sreevisakh R.K.)
संयुक्त आयकर आयुक्त (यथास्थान) (मु.)(प्रशा. व सत.)
Jt. Commissioner of Income Tax (In-situ) (Hqrs.) (Admn. & Vig)
भुवनेश्वर /Bhubaneswar

फा.सं. प्र.मु.आ.आ./स्था./ III-151/2025-26/
दिनांक, भुवनेश्वर, 08 अप्रैल, 2025
F.No. Pr.CCIT/Estt/III-151/2025-26/
Dated, Bhubaneswar, the 08th April, 2025.

प्रतिलिपि अग्रेषित/Copy forwarded to:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।/All ministries/ Departments of Government of India.
2. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त /All the Pr. Chief Commissioner of Income Tax.
3. सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के प्रमुख।/All the Heads of central Government offices.
4. आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in / official website www.incometaxindia.gov.in.

Sreevisakh

(श्रीविशाख आर. के. / Sreevisakh R.K.)
संयुक्त आयकर आयुक्त (यथास्थान) (मु.)(प्रशा. व सत.)
Jt. Commissioner of Income Tax (In-situ) (Hqrs.) (Admn. & Vig)
भुवनेश्वर/Bhubaneswar